

भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31-ए
चंडीगढ़-160030

फाइल नम्बर: 9-PBB400/2016-CHA

दिनांक: मंगलवार, 26 जुलाई 2016

सेवा में,

नोडल ऑफिसर,
एफ० सी० ए० & सी० सी० एफ० (एफ सी)
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 68,
एस० ए० एस० नगर (मोहाली), पंजाब

विषय: Diversion of 0.3876 hectares of forest land for passage to M/s Khanna Paper Mills Ltd. (Approved Mega Project) on GT road Bye Pass KM 459-460 R/s under Forest Division and District Amritsar, Punjab

सन्दर्भ: 1. पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA/1980/PBIP/190/2016/6425 दिनांक 20.07.2016.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.3876 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें:-

- पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- Change of Land use certificate from T&CP department.
- a) The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt) dated 3rd August 2009 read with letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 5th February 2013, in support thereof and submit certificate in prescribed format;

OR

b) As prescribed by this Ministry in its letter No. 11-09/98-FC 9(pt), dated 28th October, 2014, in case of plantations which were notified as 'forest', a certificate from the concerned District collector to the effect that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes as per the census-2001 & the census 2011, be issued and submitted to meet requirements of clause (a), read with clause (d) & clause (g) in second para of this Ministry's letter issued vide F.No.11-9/1998-FC (Pt), dated 3rd August 2009.

3. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

सक्रीय

(एस० डी० शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल अमृतसर और जिला तरन-तारण पंजाब।
- जसवंत सिंह, सचिव बेबे नानकी ग्लोबल सोसाइटी गाँव दबुर्जी, अमृतसर, पंजाब।